म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बो–6/नि./ऑन0 अनु0/2019–20/2025 भोपाल,दिनांक 10/06/2019

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला.........................(समस्त)

विषयः– अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध मे।

कृषि उपज मण्डी समितियो के लिए लागू उपविधि सन् 2000 में अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त नवीनीकरण के स्पष्ट प्रावधान नही होने के कारण अनुज्ञप्ति नवीनीकरण में कठिनाई आती है।

उक्त विषय में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1/ अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन, अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात तक की समयावधि में प्रस्तुत किये जा सकेगे। तीन माह पश्चात तक की यह समय सीमा अधिकतम होगी। इस दौरान नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक से मान्य किया जाएगा। उक्त तीन माह पश्चात की अवधि में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रति माह (या उसके खंड के लिए) रूपये 500/– का विलम्ब शुल्क संबंधित मंडी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह राशि मण्डी समिति द्वारा नगद अथवा डीडी के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

उक्त नियत समय–सीमा (अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात तक की समयावधि) के उपरांत नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आगामी स्वीकृति दिनांक से ही किया जाएगा। इस बीच गैर अनुज्ञप्ति अवधि में किया गया व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण अवैध होकर मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही योग्य होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नि./ऑन0 अनु0/2019–20/2026 भोपाल,दिनांक 10/06/2019

प्रतिलिपिः–

(1) अपर/संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(2) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)

(3) चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(4) श्री सौरभ रावत, कंसलटेंट, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल। उक्तानुसार तीन माह की अवधि में नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर मण्डी सचिव के लॉगिन पर वैधता समाप्ति दिनॉक से नवीनीकरण किये जाने हेतु विकल्प उपलब्ध करावें जिसमे विलम्ब शुल्क प्राप्ति रसीद क्रमांक, दिनॉक की अनिवार्य प्रविष्टि का प्रावधान करें।

(5) गार्ड फाइल/आदेश नस्ती।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल